न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3350–तीन/14 निगरानी प्रकरण कमांक 3358–तीन/14 निगरानी प्रकरण कमांक 3757–तीन/14 विरूद्ध कमशः आदेश, दिनाक 12–9–2003, 28–3–13 एवं 6–9–14 पारित द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के कमशः प्रकरण कमांक 26/अ–74/02–03, 471/अ–74/10–11 एवं 332/अ–12/13–14

श्रीमती सरोज श्रीवास्तव पत्नी श्री अभय कुमार श्रीवास्तव
निवासी झझरा कॉलोनी, बोदाबाग, सिविल लाइन, रीवा म0 प्र0

.........आवेदक

विरूद्ध

1 कामता प्रसाद द्विवेदी तनय श्री राम सजीवन द्विवेदी
निवासी ग्राम रूपौली तहसील त्योंथर जिला रीवा म0 प्र0
2 शासन म0 प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री संतोष श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के अग्निहोत्री, अभिभाषक, अनावेदक कमांक–1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

यें निगरानी प्रकरण कमांक 3350–तीन/14, निगरानी प्रकरण कमांक 3358–तीन/14 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 3757–तीन/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के कमशः प्रकरण कमांक 26/अ–74/02–03, 471/अ–74/10–11 एवं 332/अ–12/13–14 में पारित कमशः आदेश, दिनाक 12–9–2003, 28–3–13 एवं 6–9–14के विरूद्ध प्रस्तुत हुयें हैं ।

2./ यह आदेश राजस्व मण्डल में प्रस्तुत 3 निगरानियों प्रकरण कमांक 3350–तीन/14, निगरानी 3358–तीन/14 तथा निगरानी 3757–तीन/14 के संबंध में ग्राह्यता के प्रकम पर संयुक्त रूप से पारित किया जा रहा है । तीनों प्रकरणों में समान पक्षकार और एक दूसरे से संबंधित वाद विषय हैं, तथा तीनों में गैर निगराकार पक्ष की ओर से केवियट आवेदन हैं । अतः तीनों प्रकरणों में उभयपक्ष को सुना गया है, और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न अभिलेखों की प्रतियों, मेमोज, तर्कों आदि को समुचित रूप से विचार में लेते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है ।

3/ उपरोक्त तर्क–श्रवण, अभिलेख–परिशीलन आदि के आधार पर तीनों प्रकरणों से संबंधित तथ्यों का बिन्दुवार संक्षेप इस प्रकार बनता है ।

(क) ग्राम इटौरा, तहसील हुजूर जिला रीवा का खसरा नंबर 160/30 निगराकार सरोज का रहा है ।

(ख) तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 12/अ–74/96–97 में पारित आदेश दिनांक 19–7–97 से यह मानते हुए कि पटवारी ने गलती से 160/30 को रोस्टर करते समय 160/31 कर दिया था, 160/30 को 160/31 और 160/31 को 160/30 अंकित करने का आदेश दिया ।

(ग) प्रकरण कमांक 14/अ–74/96–97 में पारित आदेश दिनांक 22–7–97 से तहसीलदार ने 160/30 को निगराकार सरोज का मानते हुए, उसकी तरमीम किया जाने का आदेश पारित किया ।

तदुपरान्त इस आदेश दिनांक 22–7–97 के पुनर्विलोकन हेतु एक आवेदन गैर निगराकार कामता प्रसाद द्वारा तहसीलदार को दिया गया, जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 26/अ–74/2002–03 कायम कर पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की, और यह पाते हुए कि प्रकरण कमांक 14/अ–74/96–97 में गैर निगराकार कामता प्रसाद को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसमें उस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 22–7–97 विधिसंगत नहीं था, उस आदेश दिनांक 22–7–97 को राजस्व मण्डल के

निगरानी प्रकरण कमांक 3350–तीन/14 में आक्षेपित आदेश दिनांक 12–9–03 से निरस्त कर दिया । साथ ही इस आदेश दिनांक 12–9–03 से तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को यह निर्देश दिया कि वे उभयपक्ष (सरोज और कामताप्रसाद) सहित खसरा नंबर 160 के सह–अंशधारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देकर मौके से नियमानुसार नक्शा तरमीम का प्रस्ताव पुनः पेश करें ।

इस आदेश दिनांक 12–9–03 के विरूद्ध निगरानी प्रकरण कमांक 3350–तीन/14 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुआ ।

(घ) प्रकरण कमांक 3350–तीन/14 के संबंध में गैर निगराकार पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क किया कि उन्होंने तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–7–97 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन इसलिये लगाया था क्योंकि (एक) वर्ष 10–11, 11–12 के खसरा अभिलेख के अनुसार (प्रति दी) खसरा नंबर 160/29 उनका यानि गैर निगराकार का है जिसे उन्होंने वर्ष 1987 में खरीदा था और जिसकी तरमीम उन्होंने (निगराकार से पहले) 1995 में कराई थी, (दो) चूंकि निगराकार का खसरा नंबर 160/30 भूअर्जन में जा रहा था, इसलिए उसने षडयंत्रपूर्वक खसरा नंबर 160/29 के वास्तविक स्थल पर खसरा नंबर 160/30 दिखवा दिया था, और (तीन) आदेश दिनांक 22–7–97 से जिस खसरा नंबर 160/30 की तरमीम हेतु आदेश हुआ था, वह वास्तविकता में खसरा नंबर 160/29 था । अपने इस तर्क की पुष्टि में गैर निगराकार अधिवक्ता ने राजस्व निरीक्षक के स्थल पंचनामा दिनांक 4–11–12 का अवलोकन कराया, जिसमें यह लिखा है कि 'गैर निगराकार का प्लाट 160/29 पूर्व से मुताबिक स्थल तरमीम था जिसमें निगराकार द्वारा गैर निगराकार के प्लाट पर पूर्व तरमीम को विलोपित करा कर नए सिरे 160/30 कर दिया, अतः पूर्व तरमीम को यथावत किया जाए ।'

(ङ) प्रकरण कमांक 3350–तीन/14 के संबंध में निगराकार पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क किया कि (एक) पुनर्विलोकन की अनुमति के पूर्व उनको सुना नहीं गया, और (दो) भूअर्जन 160/30 का नहीं 160/29 का हुआ है जिसका भूमिस्वामी विश्वनाथ नामक व्यक्ति होना वर्ष 1992 के भूअर्जन के अभिलेख में लिखा है (जिसकी उन्होंने प्रति दी)।

(च) इसी अनुकम में, राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 4–11–12 (उपरोक्त घ–तीन देखें) के आधार पर तहसीलदार ने उनके प्रकरण कमांक 471/अ–74/10–11 में दिनांक 28–3–13 को खसरा नंबर 160/30 के स्थान पर खसरा नंबर 160/29 पटवारी नक्शे में अंकित किए जाने का आदेश पारित किया, जिसके अनुकम में पटवारी नक्शे में 160/30 के 30 पर गोला लगाकर बाजू में 29 लिखा गया (इस नक्शे की प्रति दी गई)। इस आदेश दिनांक 28–3–13 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण कमांक 3358–तीन/14 प्रस्तुत हुआ ।

इस प्रकरण कमांक 3358–तीन/14 के संबंध में निगराकार अधिवक्ता का तर्क है कि जब आदेश दिनांक 19–7–97 से तहसीलदार ने 160/31 और 160/30 के नम्बरों को आपस में बदला था, ना कि 160/29 के, तो बाद में 160/30 के स्थान पर 160/29 क्यों लिखा गया । गैर निगराकार अधिवक्ता का तर्क है कि निगराकार की यह बात इन प्रकरणों से सुसंगत ही नहीं है और उन्हें 19–7–97 के आदेश के संबंध में कुछ नहीं कहना क्यों उस आदेश का संबंध उन के (गैर निगराकार के) खसरा नंबर 160/29 से था ही नहीं ।

(छ) तदुपरान्त प्रकरण कमांक 332/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 6–9–14 से राजस्व निरीक्षक ने खसरा नंबर 160/29 के सीमांकन की पुष्टि की, जिससे उपरोक्त (च) में लिखे अनुसार अब अपनी कथित मूल जगह पर और 160/30 के नक्शे में पहले दिखा दिए गए अंकन के स्थान पर आदेश दिनांक 28–3–13 के आधार पर दिखाया गया था ।

इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में तीसरी निगरानी प्रकरण कमांक 3757–तीन/14 प्रस्तुत हुई ।

यहॉ निगराकार अधिवक्ता ने तर्क किया कि चूंकि खसरा नंबर 160/30 का रकबा, राजस्व अभिलेखों के अनुसार, खसरा नंबर 160/29 से कहीं अधिक था, इस वजह से 160/30 के स्थान पर 160/29 लिखे जाने से उस स्थान पर अब

खाली/बगैर खसरे की जगह बच रही है जहाँ पर यह लेख परिवर्तन (30 बदलकर 29) किया गया है । गैर निगराकार अधिवक्ता ने इस बात का खण्डन किया ।

4/ प्रकरण में पूर्ण विचारोपरान्त मैं निम्न बिन्दु टीप योग्य पाता हूँ :–

(एक) आदेश दिनांक 19–7–97 का संबंध इन तीनों निगरानी प्रकरणों से नहीं है । ज्यादा से ज्यादा उसका संबंध यह माना जा सकता है कि खसरा नंबर 160/30 को अन्य नम्बरों के स्थान पर दिखाने के या तो प्रयास किए गए या 160/30 की स्थिति को लेकर अस्पष्टता रही ।

(दो) राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 4–11–12 के प्रकाश में तीनों आक्षेपित आदेश दिनांक 12–9–03, 28–3–13 एवं 6–9–14 प्रथम दृष्ट्या सही दिखते हैं, किन्तु जब तक खसरा नंबर 160/30 की मूल अवस्थिति पर स्पष्टता नहीं होती, तब तक अन्तिम तौर से इस बाबत निष्कर्ष निकालना उपयुक्त नहीं है ।

(तीन) जब गैर निगराकार ने खसरा नंबर 160/29 वर्ष 1987 में कय कर लिया था, तो भूअर्जन के वर्ष 1990–92 के अभिलेख इस खसरा नम्बर के विरूद्ध गैर निगराकार के बदले विश्वनाथ का नाम क्यों लिख दिया गया है ।

(चार) प्रकरण में मूल खसरा नंबर 160 के बटे नम्बरों की तरमीम को लेकर अस्पष्टता तो है ही, साथ ही भू–अर्जन में किस–किस खसरा नंबर 160 के बटे नंबर के कितने कितने अंश आए और उनके भूमिस्वामी कौन–कौन थे, इस पर भी स्पष्टता का अभाव है ।

इसी के प्रकाश में आदेश दिनांक 12–9–03 से तहसीलदार द्वारा खसरा नंबर 160 के सभी अंशधारियों (उभयपक्ष सहित) को और हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देकर मौके से नियमानुसार नक्शा तरमीम का प्रस्ताव राजस्व निरीक्षक से बुलाए जाने का निर्णय लिया गया था । यदि यह कार्यवाही सही से पूर्ण हुई होती तो प्रकरण में आगे चलकर स्पष्टता बनी रहती ।

यह कार्यवाही सही से पूरी कराए बगैर खसरा नंबर 160/30 और 160/29 केवल का विवाद सुलझाने के प्रयास में प्रकरण में विवाद समाप्त नहीं हो पाया है ।

5/ अतः मैं निगरानी प्रकरण कमांक 3350–तीन/14 में आक्षेपित आदेश दिनांक 12–9–03 यथावत रखते हुए तहसीलदार जवा, जिला रीवा को यह अतिरिक्त निर्देश देता हूँ कि :–

(1) वे मूल खसरा नंबर 160 के सभी अंशधारियों के बटांकों एवं उनके रकबों को सही से पहले पहचानें, और फिर मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार खसरा नंबर 160 के प्रत्येक बटांक की, भू–अर्जन के पूर्व की स्थिति में, पहले नक्शे पर स्पष्ट रूप से एक साथ में तरमीम करें ताकि किसी भी अंशधारी का कोई भी बटांक सम्मिलित होने से ना तो छूटे और ना ही गलत तरीके से सम्मिलित हो । ऐसा करने में तहसीलदार इन सभी अंशधारियों (उभयपक्ष सहित), हितबद्ध पक्षकारों और सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना और पक्ष समर्थन का अवसर जरूर दें ।

(2) उपरोक्त (1) के प्रकाश में, तहसीलदार यह देखें कि भू–अर्जन में किस–किस अंशधारी के किन–किन बटांक का कितना–कितना हिस्सा/रकबा आ रहा है । तदनुसार, यदि आवश्यकता हो तो, भू–अर्जन से संबंधित अभिलेखों की दुरूस्ती हेतु भी कार्यवाही करें अथवा कराने हेतु उचित स्तर पर प्रस्ताव भेंजें ।

(3) उपरोक्त (1) एवं (2) की कार्यवाही, तहसीलदार, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर पूर्ण करें, जिसमें उभयपक्ष के पक्षकार एवं अन्य संबंधित व्यक्ति तहसीलदार को पूर्ण सहयोग दें ।

6/ चूंकि शेष दोनों निगरानियों में आक्षेपित आदेशों का संबंध उपरोक्त पैरा 5 की कार्यवाही से है, अतः उनसे संबंधित आक्षेपित आदेश दिनांक 28–3–13 एवं 6–9–14 पैरा 5 की कार्यवाही पूर्ण हो जाने तक के लिए प्रभावहीन किए जाते हैं । पैरा 5 की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त उसके प्रकाश में या तो ये दोनों आदेश उसके

प्रतिकूल होने पर स्वतः निरस्त माने जाएंगे या अन्यथा की स्थिति में स्वतः पुष्ट माने जाएंगे ।

आदेश पारित ।
पक्षकार एवं तहसीलदार, जवा सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

2.3.16
(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर